इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 06.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 मोटर वाहन चोर को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 06 वर्ष 05 माह 05 दिन के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 1,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 मोटर वाहन चोर को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 06 वर्ष 05 माह 05 दिन की सजा सुनाई गयी तथा 1,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.10.2011 को वादी शिव सेवक सिंह त्रिपाठी द्वारा थाना इकदिल पर अपनी मोटर साइकिल चोरी के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी जिसके आधार पर **थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 354/11 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री सियाराम द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तगण 1. मोनू उर्फ अरविन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी अमरसीपुर थाना सैफई जनपद इटावा** के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 विपिन कुमार एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रभात कुमार द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 06.11.2023 को ACJM- V कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 06 वर्ष 05 माह 05 दिन के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 1,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **मोनू उर्फ अरविन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी अमरसीपुर थाना सैफई जनपद इटावा।**